

## परिशिष्ट 1.1

रा.रा.क्षे. दिल्ली की रूपरेखा							
क. सामान्य आँकड़े							
क्र.सं.	विवरण				आँकड़े		
1	क्षेत्रफल				1483 वर्ग किमी		
2	जनसंख्या						
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार			1.39 करोड़		
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार			1.68 करोड़		
3.	क.	जनसंख्या घनत्व (2001 के अनुसार) (सम्पूर्ण भारत का घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)			9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.		
	ख.	जनसंख्या घनत्व (2011 के अनुसार) (संपूर्ण भारत का घनत्व = 382* व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)			11320* व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.		
4	गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत = 21.9*** प्रतिशत)				39.30		
5.	क.	साक्षरता(2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 प्रतिशत)			81.67 प्रतिशत		
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.0*** प्रतिशत)			86.21 प्रतिशत		
6.	बाल मृत्यु दर 2016 (प्रति 1000 जीवित जन्म पर) (अखिल भारतीय औसत**** = 34 प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वालों पर)				18		
7.	जन्म पर जीवन प्रत्याशा***** (2011-15) (अखिल भारतीय औसत = 68.3 वर्ष)				ला.न.		
8.	मानव विकास इंडेक्स*****						
	(क)	1999-2000 (अखिल भारतीय = 0.387)			ला.न.		
	(ख)	2007-08 (अखिल भारतीय = 0.467)			ला.न.		
9. 10.	गिनी गुणांक*****						
	क.	ग्रामीण. (अखिल भारतीय = 0.29)			0.25		
	ख.	शहरी. (अखिल भारतीय = 0.38)			0.35		
11.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2017-18 वर्तमान मूल्य पर				₹ 6,86,017 करोड़		
	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. ***** मि.वा.वृ.द. (2008-09 से 2017-18)				रा.रा.क्षे. दिल्ली	12.10 प्रतिशत	
					अखिल भारतीय		11.50 प्रतिशत
12.	स.रा.घ.उ. मि.वा.वृ.द ***** (2008-09 से 2017-18)				रा.रा.क्षे. दिल्ली	15.40 प्रतिशत	
					अखिल भारतीय		12.90 प्रतिशत
ख	वित्तीय आंकड़े						
क्र.सं.	विवरण	आँकड़े (प्रतिशत में)					
1	मि.वा.वृ.द	2008-09 से 2016-17		2008-09 से 2016-17		2016-17 से 2017-18	
		सामान्य श्रेणी राज्य +		रा.रा.क्षे. दिल्ली		सामान्य श्रेणी राज्य + रा.रा.क्षे. दिल्ली +	
	ए.	राजस्व प्राप्ति का		15.10		9.72	
	बी.	स्वयं के कर राजस्व का		14.90		12.45	
	सी.	गैर कर राजस्व का		9.50		-20.14	
	डी.	कुल व्यय का		15.80		7.49	
	ई.	पूँजीगत व्यय का		14.00		-0.78	
	एफ.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का		14.50		13.20	
	जी.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का		16.20		11.86	
		15.10		11.30		12.58	
		14.90		12.20		14.70	
		9.50		5.90		101.23	
		15.80		4.70		10.21	
		14.00		1.00		-13.62	
		14.50		6.20		17.70	
		16.20		10.7		20.07	

\* सेंसस इंडो इंडिया 2011 अंतिम जनसंख्या योग

\*\* आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खंड-II, पृष्ठ क 160-161

\*\*\* आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खंड-II, पृष्ठ क 155

\*\*\*\* आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खंड-II, पृष्ठ क 151

\*\*\*\*\* आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खंड-II, पृष्ठ क 151

\*\*\*\*\* आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खंड-II, पृष्ठ क 161

\*\*\*\*\* [http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data\\_2312/DatabookDec2014%20106.pdf](http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/DatabookDec2014%20106.pdf).

\*\*\*\*\* एमओएसपीआई द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए 1 अगस्त, 2017 को जारी जीएसडीपी विवरणी। गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य के संबंध में स.रा.घ.उ. आंकड़े संबंधित महालेखाकारों से प्राप्त हुए हैं।

\*गोवा छोड़कर

**परिशिष्ट 1.2**

((प्रस्तावना को देखें)

**भाग क: सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट**

**सरकारी लेखों की संरचना:** राज्य सरकार के लेखे दो भागों में रखे जाते हैं- (i) समेकित निधि तथा (ii) आकस्मिक निधि। रा.रा.क्षे. दिल्ली में लोक लेखे नहीं है। लेन-देनों से संबंधित ऋण (लघु बचत योजनाओं के अलावा), जमा, अग्रिम, प्रेषणों तथा उचंतों को संघ सरकार के लोक लेखा में दिया जाता है। (पेज 49 पर चार्ट देखें)


**भाग I: समेकित निधि:** राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार बिलों के सभी ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण और ऋणों के पुनः भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि बनाते हैं। राज्य की समेकित निधि की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत की गई।

**भाग II: आकस्मिक निधि:** राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत की गई है जो राज्यपाल के अधिकाराधीन अग्रदाय के रूप में रखी जाती है जिससे वे अग्रिम देने के योग्य हो सके ताकि विधान मंडल द्वारा लम्बित प्राधिकार प्राप्त होने तक तत्कालीन अप्रत्याशित व्यय को पूरा किया जा सके। तदन्तर ऐसे व्यय के लिये तथा समेकित निधि से समतुल्य राशि के आहरण हेतु विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिसके बाद आकस्मिक निधि से प्राप्त अग्रिम से निधि को पूरा किया जाता है।

**भाग ख: वित्तीय लेखों का खाका**

विवरणी	खाका
विवरण सं.1	राज्य सरकार के लेन देनों का सारांश- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि में प्राप्तियाँ तथा व्यय, राजस्व तथा पूँजी, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं संवितरण इत्यादि
विवरण सं.2	वर्ष की समाप्ति पर प्रगामी व्यय को दर्शाने वाले पूँजीगत परिव्यय की संक्षिप्त विवरणी
विवरण सं.3	राज्य की ऋण स्थिति का सारांश जिसमें भारत सरकार से आन्तरिक उधार, अन्य देयताएं एवं ऋणों की सेवाएं सम्मिलित है।
विवरण सं.4	वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, किए गये पुनर्भुगतान और बकाया वसूलियों इत्यादि का सारांश।
विवरण सं.5	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ओर से भारत सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का सारांश
विवरण सं.6	वर्ष की समाप्ति पर शेषों का सारांश
विवरण सं.7	वर्ष के लिये विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व और व्यय
विवरण सं.8	वर्ष के दौरान किये गये प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण
विवरण सं.9	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व का विस्तृत लेखा
विवरण सं.10	वर्ष के लिये पृथक रूप से गैर योजनागत एवं योजनागत के अन्तर्गत लघु शीर्षों के राजस्व व्यय और मुख्य शीर्ष वार पूँजीगत व्यय के लेखे
विवरण सं.11	वर्ष के दौरान तथा समाप्ति तक किये गये विस्तृत पूँजीगत व्यय
विवरण सं.12	वर्ष की समाप्ति तक सरकारी कंपनियों तथा सहकारी संस्थानों में राज्य सरकार के निवेश का विवरण
विवरण सं.13	वर्ष की समाप्ति तक (राजस्व लेखों से बाहर) अन्य व्यय तथा पूँजीगत व्यय और प्रमुख स्रोत जिसमें निधियाँ उस व्यय के लिये प्रदान की गयी थी।
विवरण सं.14	ऋण, कर्जों तथा अग्रिमों इत्यादि से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियाँ, संवितरणों और शेषों का विस्तृत लेखा।
विवरण सं.15	सरकार के ऋण का विस्तृत लेखा
विवरण सं.16	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान अदा की गयी ऋणों की राशि तथा वर्ष की समाप्ति पर शेषों का विस्तृत लेखा

चार्ट: रा.रा.क्षे. दिल्ली के लेखों की संरचना



### परिशिष्ट 1.3

#### (प्रस्तावना को देखें)

#### राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली

जी.एस.डी.पी. राज्य की आर्थिक मुख्य राजकोषीय संचय जैसे कर तथा गैर-कर राजस्व, राजस्व तथा पूँजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व तथा वर्तमान बाजारी मूल्यों पर जी.एस.डी.पी. की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटे को प्रस्तुत किये जाने के निष्पादन का अच्छा संकेतक मानी जाती है। जी.एस.डी.पी. द्वारा दर्शाए गए आधार के संदर्भ में प्रासंगिक अस्थायी वित्तीय के लिए उत्पलावकता गुणांक भी आकलन करने के लिए लगाया गया आधार में परिवर्तन के साथ संसाधनों की लामबंदी व्यय का तरीका इत्यादि में तेजी आ रही है या यह वित्तीय समुच्चय जी.एस.डी.पी. के अलावा अन्य कारकों से भी प्रभावित हुए हैं। पिछले पांच वर्षों के लिए जी.एस.डी.पी. में प्रवृत्तियों को नीचे दर्शाया गया है:-

#### वर्तमान दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में प्रवृत्तियां

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	4,43,960	4,94,885	5,48,081	6,16,826	6,86,017
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	13.43	11.47	10.75	12.54	11.22

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकी विश्लेषण निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

प्रवृत्तियों तथा राजकोषीय संचय के प्रतिमानों के निर्धारण में प्रयोग में लाए जा रहे कुछ चयनित शब्दावलियों की परिभाषाओं को नीचे दिया गया है:

शब्दावली	परिकलन का आधार
पैरामीटर की उत्पलावकता	पैरामीटर/जी.एस.डी.पी. विकास की वृद्धि दर
पैरामीटर की उत्पलावकता (एक्स) अन्य पैरामीटर के संबंध में (वाई)	पैरामीटर की वृद्धि दर (एक्स)/पैरामीटर की वृद्धि दर (वाई)
वृद्धि दर (आर.ओ.जी.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि})-1]* 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
संचयित व्यय	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण तथा अग्रिम
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान} / [(\text{पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि} + \text{वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएँ})/2] * 100$
विस्तारित ब्याज	जी.एस.डी.पी. वृद्धि - औसत ब्याज दर
विस्तारित प्रमात्रा	ऋण स्टॉक * विस्तारित ब्याज
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त किया गया ब्याज	$\text{प्राप्त किया गया ब्याज} / [(\text{अथ शेष} + \text{ऋणों तथा अग्रिमों का अन्त शेष})/2] * 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण तथा अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूँजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज का भुगतान

**परिशिष्ट 1.4**  
**रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय श्रेणी आँकड़े**  
**(पैराग्राफ 1.1.1 को देखें)**

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>पार्ट ए: प्राप्तियाँ</b>					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	27,981	29,585	34,999	34,346	38,667
(i) कर राजस्व	25,919	26,604	30,226	31,140	35,717
राज्य उत्पाद तथा सेवाएं कर (एस.जी.एस.टी.)	-	-	-	-	13,621
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	17,926	18,289	20,246	21,144	11,149
राज्य उत्पाद शुल्क	3,152	3,422	4,238	4,251	4,453
वाहनों पर कर	1,409	1,559	1,607	1,809	2,116
स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	2,969	2,780	3,433	3,144	4,117
भूमि राजस्व	0	62	1	2	2
वस्तुओं तथा यात्रियों पर कर	-	-	-	-	-
अन्य कर	463	492	701	790	259
(ii) गैर कर राजस्व	659	633	515	381	766
(iii) संघीय कर व शुल्क में राज्य अंश	-	-	-	-	-
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	1,403	2,348	4,258	2,825	2,184
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूलियाँ	803	228	83	212	691
4. कुल राजस्व व गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	28,784	29,812	35,082	34,558	39,358
5. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	4,162	1,764	2,241	1,696	1,906
आन्तरिक ऋण (पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	4,162	1,764	2,241	1,696	1,906
6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ (4+5)	32,946	31,577	37,323	36,254	41,264
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियाँ	-	-	10	-	2
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	32,946	31,577	37,333	36,254	41,266
<b>पार्ट बी: व्यय/संवितरण</b>					
10. राजस्व व्यय	22,367	23,509	26,343	29,302	33,754
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतानों सहित)	5,597	5,983	6,427	6,590	7,196
सामाजिक सेवाएँ	12,315	13,306	14,818	16,579	19,602
आर्थिक सेवाएँ	3,650	3,319	4,139	5,111	5,862
सहायता अनुदान और अंशदान	804	901	959	1,021	1,094
11. पूंजीगत व्यय	4,707	4,404	4,723	3,754	3,243
सामान्य सेवाएँ	265	371	378	350	228
सामाजिक सेवाएँ	1,543	1,330	1,699	2,130	1,575
आर्थिक सेवाएँ	2,899	2,703	2,647	1,274	1,440
12. ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण	5,652	1,680	2,684	2,553	2,248
13. कुल व्यय (10+11+12)	32,726	29,593	33,750	35,609	39,245
14. सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	1,325	1,347	1,435	1,655	1,682
आन्तरिक ऋण (पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1

पूर्वोपाय अग्रिम व ओवरड्राफ्टों के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	1,325	1,347	1,435	1,655	1,682
15. आकस्मिक निधि से विनियोजन	-	-	10	-	-
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	34,051	30,940	35,195	37,264	40,927
17. आकस्मिक निधि से संवितरण	-	-	-	-	2
18. सार्वजनिक खाते से संवितरण	-	-	-	-	-
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	34,051	30,940	35,195	37,264	40,929
<b>पार्ट सी. घाटा</b>					
20. राजस्व घाटा(-)/ राजस्व अधिशेष (+)(1-10)	(+)5,614	(+)6,076	(+)8,656	(+)5,044	(+)4,913
21. राजकोषीय घाटा(-)/ राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-)3,942	(+)219	(+)1,332	(-)1,051	(+)113
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(-)1,118	(+)2,993	(+)4,142	(+)1,832	(+)2,984
<b>पार्ट डी. अन्य आंकड़े</b>					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,824	2,774	2,810	2,883	2,871
24. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	-	-	-	-	-
25. पूर्वोपाय अग्रिम/उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	-
उपयोग किए गए अग्रिम पूर्वोपाय (दिन)	-	-	-	-	-
उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	-
26. पूर्वोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	4,43,960	4,94,885	54,8081	6,16,826	6,86,017
28. बकाया राजकोषीय देयताएँ	32,080	32,498	33,304	33,345	33,569
29. बकाया गारंटियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	-	-	-	-	-
30. अधिकतम गारंटी की गई राशि (वर्ष के अंत में)	-	-	-	-	-
<b>पार्ट ई. राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक</b>					
<b>I संसाधन गतिशीलता</b>					
निजी कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	5.84	5.38	5.51	5.05	5.21
निजी गैर-कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.15	0.13	0.09	0.06	0.11
<b>II व्यय प्रबंधन</b>					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	7.37	5.98	6.16	5.77	5.72
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	116.96	100.03	96.43	103.68	101.49
राजस्व व्यय/कुल व्यय	68.35	79.44	78.05	82.29	86.01
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	46.60	53.85	51.92	54.68	56.49
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	32.26	21.48	23.33	21.25	20.89
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	14.38	14.88	13.99	10.54	8.26
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	13.57	13.63	12.88	9.56	7.68
<b>III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन</b>					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	(+)1.26	(+)1.23	(+)1.58	(+)0.82	(+)0.72
राजकोषीय घाटा (अधिशेष) / स.रा.घ.उ.	(-)0.89	(+)0.04	(+)0.24	(-)0.17	(+)0.02
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/ स.रा.घ.उ.	(-)0.25	(+)0.60	(+)0.76	(+)0.30	(+)0.43
<b>IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन</b>					
राजकोषीय देयताएँ/ स.रा.घ.उ.	7.23	6.57	6.08	5.41	4.89
राजकोषीय देयताएँ/आर आर	114.65	109.85	95.16	97.09	86.82
प्रमात्रा प्रसार की तुलना में प्राथमिक घाटा	-82.59	319.82	562.99	141.13	337.09
ऋण मुक्ति (मूल+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
<b>V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक</b>					
निवेश पर प्रतिफल	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएँ	99.14	98.60	96.90	97.85	97.68

@ सरकार द्वारा सूचित स.रा.घ.उ. आंकड़े अपनाए गए हैं।

टिप्पणी-आंकड़ों को पूर्णांक किया गया है।

**परिशिष्ट 1.5**  
**विभिन्न निकायों से ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण**  
**(पैराग्राफ 1.7.2 को देखें)**

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र/शीर्ष	उप-शीर्ष	राशि	मुख्य एजेंसियां/स्थानीय निकायों जिन्हें ऋण दिया गया था
जल आपूर्ति और स्वच्छता	जल आपूर्ति - शहरी तथा ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों, स्थानीय निकायों नगर पालिकाओं तथा एससी हेतु विशेष घटक योजना के लिए ऋण	10,832.38	दिल्ली जल बोर्ड तथा दि.न.नि.
	सीवरज और स्वच्छता - स्थानीय निकाय नगर पालिकाएँ हेतु ऋण	7,478.11	दिल्ली जल बोर्ड तथा दि.न.नि.
	<b>कुल</b>	<b>18,310.49</b>	
शहरी विकास	झुग्गी बस्ती क्षेत्र का विकास - स्थानीय निकाय नगर पालिकाएँ हेतु ऋण	62.48	दि.न.नि.
	अन्य शहरी विकास योजनाएँ - स्थानीय निकायों नगर पालिकाओं तथा एससी हेतु विशेष घटक योजना के लिए ऋण	1,528.68	दिल्ली शहरी आश्रय निवेश बोर्ड, उत्तरी दि.न.नि., पूर्वी दि.न.नि., दक्षिणी दि.न.नि. तथा दि.न.नि.
	<b>कुल</b>	<b>1,591.16</b>	
सड़क परिवहन	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों तथा अन्य ऋण के लिए	15,385.64	दि.प.नि., डी.एम.आर.सी., एम.आर.टी.एस., तथा पूर्वी दि.न.नि.
ऊर्जा परियोजनाएं	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों, जल विद्युत उत्पादन, ताप विद्युत उत्पादन, डीजल/गैस उत्पादन, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रसारण तथा संवितरण योजनाएँ और अन्य ऋणों के लिए ऋण	11,556.31	आईजीपीसीएल, पीपीसीएल, डीटीएल तथा डीपीसीएल
विविध ऋण	विविध ऋण	16,173.53	दिल्ली शहरी आश्रय निवेश बोर्ड, उत्तरी दि.न.नि., पूर्वी दि.न.नि., दक्षिणी दि.न.नि., दिल्ली जल बोर्ड तथा दि.न.नि.

परिशिष्ट 1.6

भाग अ : वर्ष 2017-18 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार  
(पैराग्राफ 1.8.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

खण्ड क : राजस्व					
प्राप्ति		संवितरण			
2016-17		2017-18	2016-17		2017-18
34,345.74	I. राजस्व प्राप्ति	38,667.27	29,301.92	I. राजस्व व्यय	33,754.02
31,139.89	कर राजस्व	35,717.02	6,590.28	सामान्य सेवाएं	7,195.96
			16,578.89	सामाजिक सेवाएं	19,602.11
380.69	गैर-कर राजस्व	766.06	7,679.96	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	9,039.32
			3,654.06	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,387.54
-	संघीय करों में राज्यों का अंश	-	3,104.22	जल आपूर्ति, स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास	3,241.29
			71.15	सूचना एवं प्रसारण	122.23
1,118.71	गैर-योजनागत अनुदान	0	102.56	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	236.78
550.17	राज्य/केशाक्षे योजनागत परियोजनाओं के लिए अनुदान	0	123.57	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	133.09
			1,832.46	समाज कल्याण एवं पोषण	2,430.79
1,156.28	प्रायोजित योजनागत परियोजनाओं के लिए अनुदान	0	10.91	अन्य	11.07
0	केन्द्र प्रायोजित परियोजनाओं	994.73	5,111.41	आर्थिक सेवाएं-	5,862.01
0	विधायिका सहित राज्य/सं.रा. के अन्य स्थानान्तरण/अनुदान	1,189.46	118.72	कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ	115.79
			10.45	ग्रामीण विकास	13.67
			-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-
			167.14	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	167.80
			1,766.41	ऊर्जा	1,694.58
			17.49	उद्योग एवं खनिज	14.65
			2,841.56	परिवहन	3,698.60
			10.99	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	10.50
			178.65	सामान्य आर्थिक सेवाएं	146.42
			1,021.34	सहायता अनुदान एवं योगदान	1,093.94
			<b>29,301.92</b>	<b>कुल</b>	<b>33,754.02</b>
	II. राजस्व घाटा को आगे खण्ड ब तक ले जाना		5,043.82	II. राजस्व अधिशेष को आगे खंड ब तक ले जाना	4,913.25
34,345.74	<b>कुल</b>	<b>38,667.27</b>	<b>34,345.74</b>	<b>कुल</b>	<b>38,667.27</b>



खण्ड-ख : पूँजीगत एवं अन्य					
प्राप्ति			संवितरण		
2016-17		2017-18	2016-17		2017-18
3,654.94	III. स्थायी अग्रिम एवं शेष नकद निवेश सहित प्रारंभिक शेष	2,645.35		III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरंभिक ओवरड्राफ्ट	
	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			IV. पूँजीगत रूपरेखा	
			350.21	सामान्य सेवाएं-	228.28
			2,130.04	सामाजिक सेवाएं-	1,574.70
			1,339.27	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	848.22
			376.94	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	345.67
			346.70	जल आपूर्ति, स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास	240.41
			-	सूचना एवं प्रसारण	-
			25.75	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	48.35
			27.90	समाज कल्याण एवं पोषण	25.40
			13.48	अन्य	66.64
			1,274.05	आर्थिक सेवाएं-	1,439.94
			17.31	कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ	19.96
			127.90	ग्रामीण विकास	102.50
			-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-
			59.77	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	64.97
			17.07	ऊर्जा	2.85
			-	उद्योग एवं खनिज	(-)0.10
			1,051.07	परिवहन	1,249.61
			0.93	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0.15
			-	सामान्य आर्थिक सेवाएं	-
			3,754.30	कुल	3,242.92
212.50	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली-	690.42	2,552.52	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	2,247.49
	पॉवर परियोजनाओं से		469.98	पॉवर परियोजनाओं के लिए	465.80
	सरकारी सेवकों से		0.08	सरकारी सेवकों को	0.39
	अन्यों से		2,082.46	अन्यों का	1,781.30
	VI. राजस्व अधिशेष कम किया गया			VI. राजस्व घाटा कम किया गया	
1,695.53	VII. लोक ऋण प्राप्ति-	1906.34	1,654.62	VII. लोक ऋण की पुनर्भुगतन	1,682.43
-	बाह्य ऋण	-	-	बाह्य ऋण	-

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1

-	पूर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-	-	पूर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-
-	पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-
1,695.53	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,906.34	1,654.62	केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिम की पुनर्दायगी	1,682.43
0	VIII. आकस्मिक निधि से विनियोजन	0	-	VIII. आकस्मिक निधि से विनियोजन	-
-	IX. आकस्मिक निधि में स्थानांतरित राशि	2.4	-	IX. आकस्मिक निधि से व्यय	2.4
-	X. लोक लेखा प्राप्तियाँ	-	-	X. लोक खाता संवितरण	-
-	लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ	-	-	अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ	-
-	आरक्षित निधियाँ	-	-	आरक्षित निधियाँ	-
-	उचंत एवं विविध	-	-	उचंत एवं विविध	-
-	प्रेषण	-	-	प्रेषण	-
	जमा एवं अग्रिम		-	जमा एवं अग्रिम	-
	XI. भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट		2,645.35	XI. अंत में नकद शेष-	2,982.52
			-	खजाने में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	-
			-	रिजर्व बैंक में जमा	-
			-	स्थायी अग्रिम को शामिल करते हुए विभागीय नकद शेष	-
				नकद शेष निवेश	
<b>39,908.71</b>	<b>कुल</b>	<b>43,911.78</b>	<b>39,908.71</b>	<b>कुल</b>	<b>43,911.78</b>

**परिशिष्ट 1.6 (जारी)**  
(पैराग्राफ 1.8.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

भाग ब			
31 मार्च 2018 को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति			
31-03-2017 को	देयताएँ		31-3-2018 को
33,344.78	केन्द्र सरकार से ऋण व अग्रिम		33,568.69
-	1984-85 से पूर्व के ऋण	-	-
33,344.77	गैर-योजनागत ऋण		33,568.68
-	राज्य योजनागत परियोजनाओं के लिए ऋण	-	-
-	केन्द्रीय योजनागत परियोजनाओं के लिए ऋण	-	-
0.01	केन्द्र प्रायोजित योजनागत परियोजनाओं हेतु ऋण	-	0.01
84,915.50	राजस्व अधिशेष		89,828.76
1,587.95	सी जी ए से 1994-95 के दौरान अंगीकृत पूंजीगत परिव्यय का शेष		1,587.95
3,356.46	1994-95 के दौरान सी जी ए से अंगीकृत ऋण व अग्रिमों का शेष		3,356.46
1,23,204.69	कुल		1,28,341.86
	परिसम्पत्तियाँ		
58,304.21	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	(क)	61,547.14
18,933.05	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश	(ख)	19,173.05
39,371.16	अन्य पूंजीगत परिव्यय	(क-ख)	42,374.09
62,255.13*	ऋण और अग्रिम	क	63,812.20
11,713.69	पॉवर परियोजनाओं हेतु ऋण	ख	11,556.31
34,736.85	अन्य विकास ऋण	ग=क-(ख+घ)	36,092.40
15,804.59	सरकारी कर्मचारियों को ऋण व विविध ऋण	घ	16,163.49
2,645.35	संघ सरकार में विलयित नकद शेष		2,982.52
1,23,204.69	कुल		1,28,341.86

\*इस धनराशि में ₹ 124.58 करोड़ शामिल है जो पिछले वर्ष की वर्गीकरण त्रुटि के सुधार हेतु पूर्व अवधि समायोजन को दर्शाता है।

उपरोक्त विवरणों के दिए गए संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखों में दी गई अभ्युक्तियों और स्पष्टीकरणों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। चूँकि सरकारी लेखे प्रमुखतः नकद आधार पर होते हैं, सरकारी खाते में कमी/अधिशेष, जैसा कि परिशिष्ट 1.7 में दर्शाया गया है, व्यावसायिक लेखों में उपाार्जन आधार के विपरीत नकद आधार में स्थिति को दर्शाते हैं। परिणास्वरुप भुगतान योग्य या प्राप्ति योग्य मदों अथवा स्टॉक आँकड़ों इत्यादि में अवमूल्यन या भिन्नता जैसी मदें खातों में नहीं दी गई हैं। सकल परिव्यय के अंतर्गत 31 मार्च 2017 तथा 31 मार्च 2018 तक के लिए दी गई क्रमशः ₹ 58,304.21 करोड़ तथा ₹ 61,547.14 करोड़ धनराशि की परिसंपत्तियों में ₹ 1587.95 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है जो 1994-95 के दौरान महानियंत्रक लेखा से ग्रहण किए गए थे। इसी प्रकार परिसम्पत्तियों में दर्शाए गए 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 के लिए क्रमशः ₹ 62,130.55 करोड़ तथा ₹ 63,812.20 करोड़ की धनराशि के ऋण व अग्रिम में ₹ 3356.46 करोड़ शामिल है। लेकिन इन वर्षों के लिए देयताओं में दर्शाए जाने वाले संगत आँकड़े वित्त लेखों में पृथक रूप से नहीं दर्शाए गए हैं।

परिशिष्ट 1.7

2017-18 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के ब्यौरे जहाँ अनुदान प्राप्त नहीं किए गए थे  
(पैराग्राफ 1.3.2 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	सी.एस.एस. योजना का नाम	2016-17 के दौरान प्राप्त की गई अ.स.	2017-18 के दौरान प्राप्त की गई अ.स.
1.	राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (एन.ई.आर.एस.)	24.00	शून्य
2.	एच.आर. तथा निर्धारण हेतु शहरी सांख्यिकी (यू.एस.एच.ए.)	0.16	शून्य
3.	सिविल पंजीकरण प्रणाली का सुदृढीकरण	0.31	शून्य
4.	तकनीकी गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए डी.टी.यू (टी.ई.क्यू.आई.पी.)	2.00	शून्य
5.	उप-केन्द्र	0.35	शून्य
6.	आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम	2.18	शून्य
7.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	0.12	शून्य
8.	पोषण सुधार परियोजना (आई.एस.एस.एन.आई.पी.)	0.05	शून्य
9.	नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 तथा अ.जा./अ.ज.जा. नृशंसतानिवारण अधिनियम 1989 का कार्यान्वयन	0.25	शून्य
10.	अ.पि.व. छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.55	शून्य
11.	अ.ज. को मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति	4.74	शून्य
12.	आर.के.पुरम का मॉडल कैरियर सेन्टर (रोजगार निदेशालय)	0.02	शून्य
13.	टी.पी.डी.एस. का कम्प्यूटरीकरण	0.12	शून्य
14.	राज्य/सं.क्षे.शा.क्षे./जिला स्तर के माँक एक्सरसाईज हेतु राज्यों/सं...क्षे. को वित्तीय सहायता	0.11	शून्य
15.	उत्पीडन मुआवजा प्रणाली के निरन्तर कार्यान्वयन हेतु सी.वी.सी.एफ. के प्रावधान के अनुसार एक बार अनुदान सहायता	8.80	शून्य
16.	स्मार्ट सिटी के लिए एन.डी.एम.सी. को अ.स.	194.00	शून्य

## परिशिष्ट 2.1

₹ 50 करोड़ तथा अधिक की बचतों के साथ अनुदानों की सूची  
(पैराग्राफ 2.3.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम तथा संख्या	मूल अनुदान/ पुनर्विनियोग	पूरक अनुदान/ पुनर्विनियोग	कुल अनुदान/ पुनर्विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशत	बचतों के कारण
<b>राजस्व-दत्तमत</b>								
<b>अनुदान सं. 2: सामान्य प्रशासन विभाग</b>								
1	2220.01.001.99- जन संपर्क निदेशालय	198.23	-1.61	196.62	122.23	74.39	37.83	विज्ञापन हेतु निदिष्ट व्यय/बचत को खर्च नहीं किया गया क्योंकि मामला न्यायाधीन था।
<b>अनुदान सं. 03: न्याय प्रशासन</b>								
2	2014.00.105.99 – सत्र न्यायालय	967.29	-160.73	806.56	721.97	84.59	10.49	कार्य की अपूर्णता/ सक्षम अधिकारी का अनुमोदन न होने के कारण वेतनमानों के अपग्रेडेशन के बकायों का गैर-भुगतान था।
<b>अनुदान सं. 05: गृह</b>								
3	2056.00.001.99 जेल स्थापना	241.18	78.02	319.2	262.97	56.23	17.62	व्यावसायिक सेवा पर करम व्यय एवं निविदाओं के अंतिम रूप न दिया जाना।
<b>अनुदान सं. 6: शिक्षा</b>								
4	2202.02.109.96- सरकारी माध्यमिक विद्यालय	1,648.92	-126.04	1,522.88	1,462.46	60.42	3.97	इस शीर्ष के अंतर्गत 1000 डीडीओ के बचत का संचयन किए जाने के परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में बचत
5	2202.02.109.87 अतिरिक्त स्कूलिंग सुविधाएँ	3,155.28	7.20	3,162.48	3,073.66	88.82	2.81	विभिन्न प्रशासनिक कारणों से आवश्यक बिलों की गैर-निकासी तथा कम बिलों की प्राप्ति
<b>पूँजीगत दत्तमत</b>								
<b>अनुदान सं.4 वित्त</b>								
6	7615.00.200.76 स्वायत्त/स्थानीय निकायों को ऋणोपाय	700.00	-300.00	400.00	200.00	200.00	50.00	कम ऋण जारी किया जाना
<b>कुल</b>		<b>6,910.90</b>	<b>-503.16</b>	<b>6,407.74</b>	<b>5,843.29</b>	<b>564.45</b>		

परिशिष्ट 2.2

विभिन्न अनुदान/विनियोजन का विवरण जहाँ संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे  
(प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ और उससे अधिक)  
(पैराग्राफ 2.3.3 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचते	बचत के कारण
<b>राजस्व-दत्तमत</b>					
<b>अनुदान सं. 2 - सामान्य प्रशासनिक विभाग</b>					
1	2055.00.116.98 महिलाओं तथा बच्चों के प्रति साईबर क्राइम प्रीवेंशन परियोजना के अधीन साईबर फॉरेंसिक लैब-कम ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना के लिए स.अ. (सी.सी.पी.डब्ल्यू.सी.)	2.30	0.00	2.30	दिल्ली पुलिस को सहायता अनुदान के स्थानान्तरण के लिए वांछित प्रशासनिक संस्वीकृति जारी नहीं की गई।
<b>अनुदान सं. 4 - वित्त</b>					
2	3451.00.102.95 दिल्ली में निवेश तथा ब्यूरो लोक उद्यमों को स.अ.	1.00	0.00	1.00	अनुदानित संस्थान से मांगों की गैर-प्राप्ति
<b>अनुदान सं. 6 - शिक्षा</b>					
3	2202.80.789.97 लड़कियों में स्वास्थ्यकर मासिक धर्म (एस.सी.एस.पी.)	1.00	0.00	1.00	सैनेटरी नैपकिनस् की गैर-आपूर्ति
4	2203.00.112.48 तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टी.ई.क्यू.आई.पी.) (सी.एस.एस.) के लिए दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	1.00	0.00	1.00	डी.टी.यू. से निधियों की प्राप्ति को जारी किये जाने का निवेदन नहीं प्राप्त हुआ।
5	2202.03.001.00 निर्देश तथा प्रशासन	3.00	0.00	3.00	निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलम्ब
<b>अनुदान सं. 7 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>					
6	2210.01.200.86 सी.टी. स्कैन/पी.पी.पी. में एम.आर.आई.	3.00	0.00	3.00	स्कीम का गैर कार्यान्वयन।
7	2211.00.101.76 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ	2.00	0.00	2.00	सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ।
8	2210.06.800.70.00.42 प्राथमिक/माध्यमिक/तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पताल प्रबन्धन प्रणाली की प्रस्तावना	1.00	0.00	1.00	आवश्यक प्रशासनिक कारणों के कारण परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया गया।
<b>अनुदान सं. 8 - समाज कल्याण</b>					
9	2235.02.103.31 इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.) (सी.एस.एस.)	2.00	0.00	2.00	मार्च 2018 में नये बजट शीर्ष खोले गए आई.जी.एम.एस.वाई. से पी.एम.एम.वाई. तक स्कीम का पुनः नाम रखा गया।
10	2235.02.103.21 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (सी.एस.एस.)	3.90	0.00	3.90	वर्ष की समाप्ति के अंत में गलत प्राधिकार दिया गया।
11	2225.80.789.95 हाथ से अपमार्जक का कार्य करने के रोजगार पर निषेध तथा उनके पुनर्वास का कार्यान्वयन (एस.सी.एस.पी.)	2.00	0.00	2.00	सामाजिक मंत्रालय, भारत सरकार से कुछ वर्गीकरण की स्पष्टता का विचारधीन होना।
12	2225.80.800.65 हाथ से अपमार्जक का कार्य करने के रोजगार पर निषेध तथा उनके पुनर्वास का कार्यान्वयन (एस.सी.एस.पी.)	2.30	0.00	2.30	सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार से स्पष्टीकरण का विचाराधीन होना।

	<b>अनुदान सं. 9 - उद्योग</b>				
13	3475.00.106.90.00.42 लीगल मेट्रोलोजी विंग को मजबूती (सी.एस.एस.)	1.18	0.00	1.18	लो.नि.वि. द्वारा कार्य शुरू न किया जाना।
	<b>अनुदान सं. 10 - विकास</b>				
14	2405.00.101.87 नीली क्रान्ति एकीकृत विकास तथा मछली पालन प्रबन्धन (सी.एस.एस.)	1.15	0.00	1.15	तकनीकी विवाद
15	2225.01.800.65 अल्पसंख्यक केन्द्रीकृत जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	5.00	0.00	5.00	प्रशासनिक कारण
16	2225.03.277.77 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना (सी.सी.एस.)	6.00	0.00	6.00	प्रशासनिक कारण
17	2235.60.200.62 डिफेंस/दिल्ली पुलिस/पैरा मिलिट्री/होमगार्ड तथा/सिविल डिफेंस/ऑपरेशन/युद्ध में शहीद कर्मिकों को अनुग्रह भुगतान	5.00	0.00	5.00	घटनाओं के होने के आधार पर व्यय की निर्भरता
18	2235.60.200.61 गवाह सुरक्षा निधि	2.00	0.00	2.00	घटनाओं के होने के आधार पर व्यय की निर्भरता
19	2245.80.102.92 आकस्मिक आपदा योजना/ आपदा प्रत्युत्तर निधि	6.00	0.00	6.00	स्कीम का अन्तिमकरण नहीं होना।
	<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>				
	<b>अनुदान सं. 6 - शिक्षा</b>				
20	4202.03.800.98 खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल तथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का विकास	4.20	0.00	4.20	प्रशासनिक विलम्ब
21	4202.02.104.87 नये पॉलीटेक्निस का गठन (सी.एस.एस.)	4.00	0.00	4.00	प्रशासनिक विलम्ब
	<b>अनुदान सं. 7 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>				
22	4210.01.110.75 राव तुलाराम अस्पताल	1.52	0.00	1.52	मशीनरी तथा उपकरणों के क्रय-प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका था।
	<b>अनुदान सं. 8 - समाज कल्याण</b>				
23	4235.02.104.98 वृद्धाश्रम	3.74	0.00	3.74	भूमि को खरीदा नहीं जा सका था।
24	4235.02.102.98 प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में सी.सी.टी.वी. कैमरा	1.00	0.00	1.00	वर्ष के अंत में स्कीम का आरंभ
25	4235.02.800.93 विद्यमान भवनों में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (डब्ल्यू.सी.डी.)	1.50	0.00	1.50	आदेशों के निष्पादन में विलम्ब
26	5055.00.190.78 डी.टी.सी. तथा कलस्टर बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरों का अधिष्ठापन (राज्य अंश)	1.00	0.00	1.00	सी.सी.टी.वी. निगरानी साधनों के लिए की गई परामर्श सेवाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया।
	<b>अनुदान सं. 9 - उद्योग</b>				
27	6851.00.101.98 इन्डस्ट्रियल एस्टेट/फ्लैटिड फैक्टरी कॉम्प्लेक्स की सिविक सेवाओं को उन्नत बनाए जाने व सुधार के लिए डी.एस.आई.आई.डी.सी. को ऋण	1.00	0.00	1.00	डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा ऋण को इस निवेदन के साथ स्वीकार नहीं किया गया कि इसे सहायता अनुदान में बदला जाए।

**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1**

अनुदान सं. 10 - विकास					
28	4070.00.800.86 सिविल डिफेंस	1.50	0.00	1.50	मशीनरी तथा उपकरणों को 11 जिलों में अधिष्ठापित किए जाने के लिए स्थान आवंटित नहीं किया गया तथा वाहन खरीदे जाने के प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया गया था।
29	4250.00.101.99 आपदा आकस्मिक योजना/आपदा प्रत्युत्तर निधि	1.00	0.00	1.00	मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया था।
<b>राजस्व प्रभारित</b>					
अनुदान सं. 3 - न्याय प्रशासन					
30	2015.00.102 निर्वाचन अधिकारी	1.50	0.00	1.50	टैन्ट हाऊस को भुगतान किया जाना न्यायाधीन है।
<b>कुल</b>		<b>72.79</b>	<b>0.00</b>	<b>72.79</b>	



**परिशिष्ट 2.3**  
**अनावश्यक पूरक प्रावधान**  
**(पैराग्राफ 2.3.4 को देखें)**

(₹ करोड में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत	पूरक प्रावधान
<b>राजस्व दत्तमत</b>					
<b>अनुदान सं.08: समाज कल्याण</b>					
1	2235.02.104.66 वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (वृद्धावस्था सहायता का विस्तार)	870.00	835.45	34.55	11.00
2	2235.02.102.31 बाल अधिकार आयोग	2.00	1.83	0.17	0.34
3	2235.02.102.29 आईसीडीएस (सामान्य)-राज्य अंश	17.00	16.47	0.53	5.38
4	2235.02.102.36 आँगनवाड़ी उन्नयन योजना प्रोत्साहन	Nil	Nil	Nil	1.00
5	2235.02.103.45 विधवा महिलाओं को उनकी लड़कियों के विवाह एवं अनाथ लड़कियों हेतु वित्तीय सहायता	10.00	7.74	2.26	0.50
6	2235.02.103.24 गर्भवती, निराधितों के लिए आश्रय गृह	Nil	Nil	Nil	0.80
7	2235.02.103.23 स्वाधग्रह योजना कार्यान्वयन	Nil	Nil	Nil	0.50
8	2235.02.103.21 प्रधान मंत्री मैत्री वन्दना योजना (सीएसएस)	Nil	Nil	Nil	3.90
9	2235.02.200.89 भागीदारी सामाजिक विकास में नई पहल	5.00	3.94	1.06	10.00
10	2236.02.101.75 किशोरियों के रोजगार के लिए राजीव गाँधी योजना, पोषण + तत्व (राज्य अंश)	Nil	Nil	Nil	0.52
11	4235.02.102.98 प्रत्येक आँगनवाड़ी केन्द्र में सीसीटीवी कैमरे	Nil	Nil	Nil	1.00
<b>कुल</b>		<b>904</b>	<b>865.43</b>	<b>38.57</b>	<b>34.94</b>

परिशिष्ट 2.4

निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन (जहाँ अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थीं)  
(पैराग्राफ 2.3.5 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम तथा संख्या	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत	बचत के कारण
<b>राजस्व-दत्तमत</b>				
<b>अनुदान सं. 2: सामान्य प्रशासन विभाग</b>				
1	2055.00.116.98 महिला तथा बच्चों के प्रति साईबर क्राइम रोकथाम परियोजना के अधीन साईबर फॉरेंसिक लैब कम प्रशिक्षण केन्द्र के गठन हेतु स.अ. (सी.सी.पी.डब्ल्यू.सी.)	2.29	2.30	दिल्ली पुलिस को सहायता अनुदान के स्थानान्तरण के लिए दी जाने वाली प्रशासनिक संस्वीकृति को जारी नहीं किया गया था।
2	2051.00.103.98 दिल्ली सरकार के लिए सर्विस सैलेक्शन बोर्ड	9.88	11.67	प्रशासनिक कारणों के कारण कम परीक्षाओं का संचालन, कम दावों की प्राप्ति तथा कुछ मामलों में कम भुगतान किया गया था।
<b>कुल</b>		<b>12.17</b>	<b>13.97</b>	
<b>अनुदान सं. 3: न्याय प्रशासन</b>				
3	2014.00.102.93 उच्च न्यायालय का कम्प्यूटरीकरण	4.00	5.72	प्रक्रिया के गैर-आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप निधियों की विलम्ब से प्राप्ति
4	2015.00.103.00.00.42 चुनावी सूची का निर्माण तथा प्रिंटिंग	0.75	5.21	सरकारी प्रेस को सौंपा गया प्रिंटिंग का कार्य पूरा नहीं किया गया।
<b>कुल</b>		<b>4.75</b>	<b>10.93</b>	
<b>अनुदान सं. 4: वित्त</b>				
5	2054.00.095.95.98 प्रधान लेखा कार्यालय- ई.डी.पी. सेल	0.80	1.09	सा.भ.नि. लेखों के अंकीकरण को अंतिम रूप नहीं दिया जाना तथा हार्डवेयर को क्रय न किया जाना
6	2052.00.090.42 डायलॉग एण्ड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली	0.01	1.47	कार्यालयी वेबसाइट के पुनर्विकास तथा संबंधित उपकरणों के क्रय का गैर-अन्तिमकरण
<b>कुल</b>		<b>0.81</b>	<b>2.56</b>	
<b>अनुदान सं. 5: गृह</b>				
7.	2056.00.001.99 जेल स्थापना	4.02	56.23	व्यवसायिक सेवाओं के लेखों पर कटौती किए गए बिलों की प्राप्ति तथा निविदाओं का गैर-कार्यान्वयन
<b>कुल</b>		<b>4.02</b>	<b>56.23</b>	
<b>अनुदान सं. 6: शिक्षा</b>				
8	2202.02.109.87 अतिरिक्त स्कूलिंग सुविधाएं	7.20	88.82	विभिन्न कारणों से आवश्यक बिलों की गैर-निकासी तथा कम बिलों की प्राप्ति
9	2204.00.103.78 श्रेष्ठ खिलाड़ियों/स्पोर्ट्समैन को नकद प्रोत्साहन तथा राजीव गाँधी स्पोर्ट्स अवार्ड	4.99	7.84	प्रशासनिक विलम्ब
10	2203.00.112.43 दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग	2.99	4.20	सहायता अनुदान जारी किए जाने में पिछले वर्ष के अव्ययित बकायों को समायोजित किया गया।
11	2230.03.001.99 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग निदेशालय	0.37	2.24	एम.ए.सी.पी. मामलों का अन्तिमकरण नहीं किया गया तथा चार पहिया वाहनों को शामिल करते हुए क्रय प्रस्तावों का अन्तिमकरण नहीं किया गया।

	कुल	15.55	103.10	
<b>अनुदान सं. 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>				
12.	2210.01.110.15 दीप चन्द बन्धु अस्पताल	1.35	7.37	रिक्त पदों को भरा नहीं गया तथा निविदाओं का गैर-अन्तिमकरण
13	2210.06.101.37 लिवर ट्रांसप्लांटेशन यूनिट	0.27	1.34	लिवर ट्रांसप्लांटेशन यूनिट का लंबित क्रय
14	2210.01.110.89 अरुणा आसफ अली सरकारी अस्पताल (सिविल अस्पताल)	0.25	2.63	एस.आर. तथा जे.आर. के पदों को नहीं भरा गया तथा प्रत्याशित दावों को प्राप्त नहीं किया गया।
15	2210.01.110.23 जग प्रवेश चन्द्र अस्पताल	1.45	1.46	प्रत्याशित आकस्मिक बिलों को प्राप्त नहीं किया गया।
16	2210.01.789.97 लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल (एस.सी.एस.पी.)	1.66	3.95	खाली पदों को भरा नहीं गया मेडिकल बिलों का गैर-अन्तिमकरण तथा सम्मेलनों/प्रशिक्षणों का गैर-संचालन
17	2210.01.110.40 राव तुलाराम अस्पताल, जफरपुर	0.70	3.86	खाली पदों को भरा नहीं गया तथा 7 वें वेतन आयोग के एच.आर.ए. को जारी नहीं किया गया।
18	2210.02.102.60.98 होम्योपैथिक डिस्पेंसरी यूनिट	1.09	1.78	एम.ए.सी.पी. का गैर-अन्तिमकरण तथा कार्मिकों की एन.एफ.एस.जी. तथा प्रत्याशित बिलों का प्राप्त न किया जाना।
	<b>कुल</b>	<b>6.77</b>	<b>22.39</b>	
<b>अनुदान सं. 8: समाज कल्याण</b>				
19.	2235.02.001.92 आन्तरिक तथा बाह्य स्वच्छता का संवर्धन (एस.डब्ल्यू.डी.)	2.00	2.80	कुछ घरों का गैर-परिचालन तथा कम संख्या में सुरक्षा तथा सफाई कर्मियों की मांग
20.	2235.02.001.86 महिला तथा बाल विकास निदेशालय	0.20	2.03	रिक्त पदों का नहीं भरा जाना, यूनिटों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति
21.	2235.02.102.29 आई.सी.डी.एस. (सामान्य)-राज्य अंश	5.38	5.91	खरीद प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं किया गया।
22.	2225.01.277.71 पब्लिक स्कूल में ट्यूशन फीस की वापसी	9.99	10.09	ऑनलाईन आवेदनों की कम संख्या में प्राप्ति
23.	2225.01.789.92 पब्लिक स्कूल में ट्यूशन फीस की वापसी (एस.सी.एस.पी.)	3.99	7.49	ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदनों की कम संख्या में प्राप्ति
24.	2225.80.789.95 हाथ से अपमार्जक का कार्य करने के रोजगार पर निषेध तथा उनके पुनर्वास का कार्यान्वयन (एस.सी.एस.पी.)	1.99	2.00	सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार से कुछ स्पष्टीकरण के अभाव में निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका था।
25.	2225.80.800.65 हाथ से अपमार्जक का कार्य करने के रोजगार पर निषेध तथा उनके पुनर्वास का कार्यान्वयन (एस.सी.एस.पी.)	2.29	2.30	सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार से कुछ स्पष्टीकरण के अभाव में निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका था।
	<b>कुल</b>	<b>25.84</b>	<b>32.62</b>	
<b>अनुदान सं. 10: विकास</b>				
26	2405.00.101.87 नीली क्रांति एकीकृत विकास तथा मत्स्य पालन प्रबन्धन (सी.एस.एस.)	0.65	1.15	कुछ तकनीकी कठिनाईयों से व्यय नहीं किया गया था।

**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1**

27	2245.80.102.92 आपदा आकस्मिक योजना/आपदा प्रत्युत्तर योजना	1.00	6.00	स्कीम का गैर-अन्तिमकरण
28	2235.01.200.88.98 जे एण्ड के प्रवासियों के संबंध में मासिक तदर्थ का भुगतान	1.00	2.78	तकनीकी कारणों से लाभार्थियों को पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया था।
29	2235.01.200.86.98 जे एण्ड के प्रवासियों के संबंध में मासिक तदर्थ का भुगतान	0.50	2.61	तकनीकी कारणों से लाभार्थियों को पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया था।
<b>कुल</b>		<b>3.15</b>	<b>12.54</b>	
<b>पूँजीगत दत्तमत</b>				
<b>अनुदान सं. 6: शिक्षा</b>				
30.	4202.02.104.88 पॉलीटेकनिक उपकरण	1.00	5.98	उपकरणों/फर्नीचर के लिए आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किए गए परन्तु आपूर्ति 2018-19 में प्राप्त की गई।
31.	4202.02.105.88 जी.बी. पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज	1.00	1.46	इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्रस्तावों को क्रय किए जाने का कार्यान्वित नहीं किया गया।
<b>कुल</b>		<b>2.00</b>	<b>7.44</b>	
<b>अनुदान सं. 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>				
32	4210.01.110.96 जी.बी. पन्त अस्पताल	3.93	4.08	मशीनरी तथा उपकरणों को क्रय किए जाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।
33	4210.01.110.75 राव तुलाराम अस्पताल	1.49	1.52	मशीनरी तथा उपकरणों को क्रय किए जाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।
34	4210.01.110.73 बाबू जगजीवन राम अस्पताल	0.50	1.31	उपकरण प्रस्तावों की खरीद के लिए सी.पी.ए. को फाईनल नहीं किया जा सका था।
<b>कुल</b>		<b>5.92</b>	<b>6.91</b>	
<b>अनुदान सं.8: समाज कल्याण</b>				
35	4235.02.101.82 दिव्यांग अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन के लिए स्कीम (एस.आई.पी.डी.ए.) (सी.एस.एस.)	10.70	10.70	सक्षम अधिकारी के अनुमोदन की गैर-प्राप्ति
36	4235.02.104.95 हाफ-वे होम/लान्ग स्टे होम	0.50	1.21	डी.एस.आई.आई.डी.सी. से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया था।
37	4235.02.800.94 वर्तमान भवनों में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (एस.डब्ल्यू.डी.)	3.00	3.38	निर्माण प्रस्ताव को फाईनल नहीं किया गया था तथा निर्माण कार्य के निष्पादन में धीमी प्रगति
<b>कुल</b>		<b>14.20</b>	<b>15.29</b>	
<b>सकल कुल</b>		<b>95.18</b>	<b>283.98</b>	

## परिशिष्ट 2.5

वास्तविक प्रावधानों के 70 प्रतिशत तथा ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के मामले  
(पैराग्राफ 2.3.6 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम तथा संख्या	मुख्यशीर्ष/उपशीर्ष	वास्तविक प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	मूल प्रावधानों की प्रतिशतता	अभ्यर्पण के लिए कारण
1.	अनुदान सं. 6: शिक्षा	2202.02.108.99 गुणवत्ता उन्नयन के लिये परीक्षा उन्नयन शाखा	50.00	36.00	72.00	खरीद नहीं की गई
2		2230.03.800.80 दक्षता विकास पहल स्कीम (सी.एस.एस.)	11.00	11.00	100.00	कम बिल प्राप्त किए
3		2202.03.112.87.00.42 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (सी.एस.एस.)	18.00	17.40	96.66	कम सहायता अनुदान जारी किया गया।
4		2202.03.112.86.00.42 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (राज्य अंश)	12.00	11.60	96.66	कम सहायता अनुदान जारी किया गया।
5	अनुदान सं. 7: चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.80.800.57 आम आदमी कैंटीन के लिए एफोर्डेबल मील ब्यूरो को स.अ.	17.00	17.00	100.00	कम सहायता अनुदान जारी किया गया।
6.	अनुदान सं. 8: सामाजिक	3452.80.190.82 स्वदेश दर्शन के लिए डी.टी. तथा टी.डी.सी स.अ.	30.00	29.99	99.97	कम सहायता अनुदान जारी किया गया।
7.		5055.00.190.78 डी.टी.सी. तथा कलस्टर बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरों की अधिष्ठापना	90.00	89.00	98.88	कार्य की धीमी प्रगति
8		5452.01.800.81 यमुना के नदी घाट का विकास	50.00	49.99	99.98	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
9.	अनुदान सं. 9: उद्योग	3456.00.103.93 आवश्यक माल के बढ़े हुए मूल्यों की जांच के मार्किट हस्तक्षेप के लिए प्रावधान	11.00	10.99	99.90	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
10		6851.00.101.98 औद्योगिक राज्य/फ्लैटिड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की सिविक सेवाओं की उन्नति तथा सुधार के लिए डी.एस.आई.आई.डी.सी. को ऋण	20.00	19.00	95.00	कम ऋण जारी किया जाना
11	अनुदान सं. 10: विकास	2515.00.80077 आई.डी.आर.वी. निर्माण कार्यों की मरम्मत के लिए 5% लागत को शामिल करते हुए डी.आर.डी.बी. द्वारा जल निकायों सहित निर्माण कार्य (सामान्य)	22.00	19.50	88.63	कार्य की धीमी प्रगति
12		2053.00.800.76 जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) जिला केन्द्र को सहायता अनुदान	35.35	32.32	91.42	कम अनुदान जारी किया जाना
13.		2053.00.800.75 जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) जिला नई दिल्ली को सहायता अनुदान	30.30	29.46	97.22	कम अनुदान जारी किया जाना
14.		2053.00.800.74 जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) दक्षिण जिला को सहायता अनुदान	25.25	25.12	99.48	कम अनुदान जारी किया जाना

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1

15.		2053.00.800.73 जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) दक्षिण-पश्चिम जिला को सहायता अनुदान	35.35	35.22	99.63	कम अनुदान जारी किया जाना
16.		2053.00.800.72 जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) पूर्वी जिला को सहायता अनुदान	30.30	30.17	99.57	कम अनुदान जारी किया जाना
17.		2053.00.800.71 जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) पश्चिम जिला को सहायता अनुदान	35.35	35.21	99.60	कम अनुदान जारी किया जाना
18.		2053.00.800.70 जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) उत्तर-पूर्वी जिला को सहायता अनुदान	25.25	25.11	99.44	कम अनुदान जारी किया जाना
19.		2053.00.800.69 जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) उत्तर-पश्चिम जिला को सहायता अनुदान	35.35	35.21	99.60	कम अनुदान जारी किया जाना
20.		2053.00.800.68 जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) उत्तरी जिला को सहायता अनुदान	40.40	37.29	92.30	कम अनुदान जारी किया जाना
21.		2053.00.800.67 जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) शाहदरा जिला को सहायता अनुदान	25.25	25.11	99.44	कम अनुदान जारी किया जाना
22.		2053.00.800.66 जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) दक्षिण-पूर्व जिला को सहायता अनुदान	35.35	30.12	85.21	कम अनुदान जारी किया जाना
23.		4515.00.103.93.00.42 आई.डी.आर.बी. के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिये ग्रामीण विकास बोर्ड (एस.सी.एस.पी.)	470.00	390.50	83.08	कार्य की धीमी प्रगति
24.		4515.00789.97.00.42 आई.डी.आर.बी. के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिये ग्रामीण विकास बोर्ड (एस.सी.एस.पी.)	103.00	85.50	83.80	कार्य की धीमी प्रगति
25.	अनुदान सं. 13: पेंशन	2071.01.117.99.00.04 सरकारी अंशदान	122.00	122.00	100.00	भारत सरकार से पेंशन देयता का गैर-अन्तिमकरण
		<b>कुल</b>	<b>1379.50</b>	<b>1249.81</b>		

## परिशिष्ट 2.6

₹ एक करोड़ और अधिक की बचतें जिसका अभ्यर्पण नहीं हुआ, का विवरण  
(पैराग्राफ 2.3.7 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का नाम तथा संख्या	दत्तमत्त/प्रभारित	बचत	अभ्यर्पण	बचतें जिनका अभ्यर्पण किया जाना था
1	अनुदान सं. 1 : विधान सभा	दत्तमत्त	3.37	0.32	3.05
2	अनुदान सं. 2 : सामान्य प्रशासन विभाग	दत्तमत्त	110.59	7.60	102.99
		प्रभारित	6.77	1.67	5.1
3	अनुदान सं. 3 : न्याय का प्रशासन	दत्तमत्त	342.34	199.59	142.75
		प्रभारित	107.74	50.45	57.29
4	अनुदान सं. 4 : वित्त	दत्तमत्त	644.35	383.81	260.54
5	अनुदान सं. 5 : गृह	दत्तमत्त	142.51	34.39	108.12
6	अनुदान सं. 6 : शिक्षा	दत्तमत्त	1,119.63	587.15	532.48
7	अनुदान सं. 7 : चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	दत्तमत्त	649.07	306.87	342.2
8	अनुदान सं. 8 : समाज कल्याण	दत्तमत्त	726.27	371.77	354.50
9	अनुदान सं. 9 : उद्योग	दत्तमत्त	160.69	134.62	26.07
10	अनुदान सं. 10 : विकास	दत्तमत्त	1,547.65	1,276.70	270.95
	<b>कुल</b>		<b>5,560.98</b>	<b>3,354.94</b>	<b>2,206.04</b>

परिशिष्ट 2.7

वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर व्यय का द्रुतप्रवाह  
(पैराग्राफ 2.3.8 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखों के शीर्ष	कुल बजट	मूल प्रावधान	कुल व्यय	2017-18 की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय		मार्च 2018 में किया गया व्यय	
					राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता
	<b>अनुदान सं. 4 - वित्त</b>							
1	2040.00.800.76.00.32	20.00	20.00	16.52	16.52	100.00	16.52	100.00
	<b>अनुदान सं. 6 - शिक्षा</b>							
2	2202.02.053.97.00.27	36.00	50.00	32.35	23.93	73.97	16.40	50.69
3	2202.03.102.88.00.35	14.42	96.00	14.00	14.00	100.00	14.00	100.00
4	2202.03.104.81.00.36	200.00	200.00	200.00	133.33	66.67	116.66	58.33
5	2203.00.112.51.00.36	16.00	15.00	16.00	12.25	76.56	12.25	76.56
6	4202.01.203.96.00.53	13.00	13.00	12.91	12.91	100.00	12.91	100.00
	<b>अनुदान सं. 7 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>							
7	2210.01.110.13.00.31	17.00	20.00	17.00	12.00	70.59	12.00	70.59
8	2210.01.110.13.00.36	21.00	25.00	21.00	14.75	70.24	14.75	70.24
9	2210.01.110.14.00.36	11.00	15.00	11.00	11.00	100.00	11.00	100.00
10	2210.01.800.44.00.42	222.82	200.00	222.82	112.47	50.47	112.47	50.47
11	2210.06.800.82.00.31	50.00	50.00	37.50	25.00	66.67	25.00	66.67
12	4210.01.110.98.99.53	22.00	23.00	22.00	22.00	100.00	22.00	100.00
	<b>अनुदान सं. 8 - समाज कल्याण</b>							
13	2225.01.277.60.00.32	57.00	70.00	55.59	37.66	67.75	37.66	67.75
14	2225.01.277.73.00.34	67.00	75.00	42.22	23.00	54.48	22.10	52.35
15	2225.01.789.93.00.34	44.00	48.00	31.89	19.41	60.88	18.96	59.45
16	2225.01.789.95.00.32	38.00	58.00	35.56	23.79	66.90	23.79	66.90
17	2235.02.103.20.00.50	11.03	11.03	11.03	11.03	100.00	11.03	100.00
18	2235.02.103.22.00.50	13.50	13.50	13.43	13.43	100.00	13.43	100.00
19	2236.02.101.82.00.50	65.50	80.00	41.70	28.74	68.93	22.46	53.86
20	3055.00.190.99.00.33	100.00	92.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
21	4225.01.789.98.00.53	50.00	50.00	47.87	31.93	66.69	28.43	59.38
	<b>अनुदान सं. 10 - विकास विभाग</b>							
22	4406.02.110.98.00.42	11.00	15.00	11.00	10.99	99.92	10.35	94.10
	<b>अनुदान सं. 11 - शहरी विकास विभाग</b>							
23	2217.04.191.55.00.35	62.70	200.00	62.70	62.70	100.00	62.70	100.00
24	4059.60.051.80.90.42	34.58	50.00	12.62	12.62	100.00	11.88	94.11
25	6801.00.190.93.00.55	246.80	246.80	246.80	246.80	100.00	246.80	100.00
26	6801.00.203.91.00.55	69.00	69.00	69.00	69.00	100.00	69.00	100.00
			<b>1,805.33</b>	<b>1,404.51</b>	<b>1,101.26</b>		<b>1,064.55</b>	



**परिशिष्ट 2.8**  
**अवास्तविक बजटिंग के कारण संपूर्ण प्रावधानों की बचत**  
**(पैराग्राफ 2.5 (v) को देखें)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष	मूल+अनुपूरक+ पुनर्विनियोजन	व्यय	बचत
<b>2015-16 (राजस्व)</b>				
1	2215.02.191.86	18.00	शून्य	18.00
2	2216.80.190.92	8.00	शून्य	8.00
3	2216.80.190.89	0.75	शून्य	0.75
4	2216.80.789.98	2.00	शून्य	2.00
5	2216.80.789.97	0.25	शून्य	0.25
6	2217.05.800.89.00.42	5.00	शून्य	5.00
7	2217.80.191.19.98	56.00	शून्य	56.00
8	2217.80.191.13	404.38	शून्य	404.38
9	2217.80.789.97.99	0.10	शून्य	0.10
10	2217.80.789.97.98	0.10	शून्य	0.10
11	2217.80.789.97.97	0.50	शून्य	0.50
12	3054.04.800.87	10.00	शून्य	10.00
13	3054.04.800.86	10.00	शून्य	10.00
14	3054.04.800.85	10.00	शून्य	10.00
15	3054.04.800.84	5.00	शून्य	5.00
16	3054.04.800.83	10.00	शून्य	10.00
17	3054.04.800.82	18.37	शून्य	18.37
18	3054.04.800.81	5.00	शून्य	5.00
19	3054.04.800.80	35.00	शून्य	35.00
20	3475.00.108.95	9.35	शून्य	9.35
21	2801.05.800.86	5.00	शून्य	5.00
22	2801.05.800.81	200.00	शून्य	200.00
<b>2015-16 (पूंजीगत)</b>				
23	4217.60.050.99.00.42	0.75	शून्य	0.75
24	6215.01.191.80.00.55	10.00	शून्य	10.00
25	7055.00.800.96.98.55	10.00	शून्य	10.00
26	7055.00.800.96.96.55	10.00	शून्य	10.00
27	4202.03.800.80.00.42	0.40	शून्य	0.40
28	4210.01.110.99.50.42	0.50	शून्य	0.50
29	4210.01.110.65	75.00	शून्य	75.00
30	4210.03.105.99.96.53	0.10	शून्य	0.10
31	4210.04.107.96.00.53	50.00	शून्य	50.00
32	4225.01.789.97.00.53	0.75	शून्य	0.75
33	4235.02.103.88.00.53	3.00	शून्य	3.00
34	4250.00.201.99.00.53	0.45	शून्य	0.45
35	4405.00.101.92.00.42	0.15	शून्य	0.15
36	4851.00.101.70.00.42	0.10	शून्य	0.10
37	5475.00.800.94.00.53	0.55	शून्य	0.55
38	4801.05.190.91.00.32	9.99	शून्य	9.99
39	4801.05.190.84.00.32	50.00	शून्य	50.00
40	4810.00.102.95	2.00	शून्य	2.00

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1

2016-17 (राजस्व)				
41	2215.01.191.72	5.00	शून्य	5.00
42	2215.02.191.89	200.00	शून्य	200.00
43	2215.02.191.86	10.00	शून्य	10.00
44	2216.80.190.92	8.00	शून्य	8.00
45	2216.80.190.87	3.00	शून्य	3.00
46	2216.80.190.86	1.50	शून्य	1.50
47	2216.80.789.98	2.00	शून्य	2.00
48	2216.80.789.96	0.20	शून्य	0.20
49	2217.05.800.89.00.42	5.00	शून्य	5.00
50	2217.80.191.44.99	10.00	शून्य	10.00
51	2217.80.191.19.98	20.00	शून्य	20.00
52	2217.80.191.19.99	40.00	शून्य	40.00
53	2217.80.191.06.00.42	1.00	शून्य	1.00
54	2217.80.191.04.99	24.50	शून्य	24.50
55	2217.80.191.04.97	1.00	शून्य	1.00
56	2217.80.191.04.96	1.00	शून्य	1.00
57	2217.80.191.04.94	1.00	शून्य	1.00
58	2217.80.191.04.93	1.00	शून्य	1.00
59	2217.80.191.04.92	1.00	शून्य	1.00
60	2217.80.191.04.90	2.00	शून्य	2.00
61	2217.80.191.04.89	1.90	शून्य	1.90
62	2217.80.191.04.88	36.90	शून्य	36.90
63	2217.80.191.04.87	25.50	शून्य	25.50
64	2217.80.191.04.86	9.00	शून्य	9.00
65	2217.80.191.04.85	11.00	शून्य	11.00
66	2217.80.191.04.84	1.00	शून्य	1.00
67	2217.80.191.04.83	1.00	शून्य	1.00
68	2217.80.191.04.82	8.00	शून्य	8.00
69	2217.80.191.04.81	8.00	शून्य	8.00
70	2217.80.191.04.80	14.50	शून्य	14.50
71	2217.80.191.04.79	3.00	शून्य	3.00
72	2217.80.191.04.78	49.00	शून्य	49.00
73	3054.04.800.87	10.00	शून्य	10.00
74	3054.04.800.86	12.00	शून्य	12.00
75	3054.04.800.85	10.00	शून्य	10.00
76	3054.04.800.84	5.00	शून्य	5.00
77	3054.04.800.83	25.00	शून्य	25.00
78	3054.04.800.82	20.00	शून्य	20.00
79	3054.04.800.81	15.00	शून्य	15.00
80	3054.04.800.80	28.00	शून्य	28.00
81	2251.00.090.84	0.50	शून्य	0.50
82	2801.05.800.86	2.00	शून्य	2.00
83	2801.05.800.81	60.00	शून्य	60.00
84	2801.05.800.80	23.00	शून्य	23.00
85	2801.02.800.90	1.00	शून्य	1.00
2016-17 (पूँजीगत)				
86	4217.60.050.99.00.42	0.50	शून्य	0.50
87	6215.01.191.81.00.55	20.00	शून्य	20.00
88	6215.01.191.80.00.55	10.00	शून्य	10.00

89	6215.02.191.85.00.55	2.00	शून्य	2.00
90	6217.60.191.91.97.55	25.00	शून्य	25.00
91	6217.60.191.83.00.55	100.00	शून्य	100.00
92	4059.01.051.88.00.53	0.35	शून्य	0.35
93	4210.01.110.99.88.42	0.40	शून्य	0.40
94	4210.01.110.99.83.53	0.41	शून्य	0.41
95	4210.01.110.99.50.42	1.00	शून्य	1.00
96	4210.03.101.99.98.42	0.50	शून्य	0.50
97	4210.03.105.99.96.53	1.00	शून्य	1.00
98	4210.04.107.97.00.53	0.20	शून्य	0.20
99	4235.02.101.86.00.53	5.00	शून्य	5.00
100	4235.02.101.85.00.53	5.00	शून्य	5.00
101	4235.02.101.84.00.53	2.00	शून्य	2.00
102	4235.02.103.88.00.53	1.00	शून्य	1.00
103	4235.02.104.97.00.42	20.00	शून्य	20.00
104	4250.00.201.99.00.53	0.20	शून्य	0.20
105	5054.04.800.90.00.42	1.00	शून्य	1.00
106	5054.04.800.83.00.53	100.00	शून्य	100.00
107	5054.04.800.82.00.53	137.00	शून्य	137.00
108	5054.04.800.81.00.53	200.00	शून्य	200.00
109	5475.00.800.94.00.53	0.20	शून्य	0.20
110	4801.05.190.91.00.32	5.00	शून्य	5.00
111	4801.05.190.84.00.32	20.00	शून्य	20.00
112	4801.05.800.88.00.42	1.00	शून्य	1.00
<b>2017-18 (राजस्व)</b>				
113	2215.02.191.86	60.00	शून्य	60.00
114	2216.80.190.93	15.00	शून्य	15.00
115	2216.80.190.92	8.00	शून्य	8.00
116	2216.80.190.91	58.00	शून्य	58.00
117	2216.80.190.89	8.00	शून्य	8.00
118	2216.80.190.87	1.80	शून्य	1.80
119	2216.80.789.99	5.00	शून्य	5.00
120	2216.80.789.98	2.00	शून्य	2.00
121	2217.04.191.57	98.00	शून्य	98.00
122	2217.80.191.04.95	1.00	शून्य	1.00
123	3054.04.800.86	1.00	शून्य	1.00
124	3054.04.800.85	5.00	शून्य	5.00
125	3054.04.800.84	1.00	शून्य	1.00
126	3054.04.800.80	20.00	शून्य	20.00
127	2059.80.053.95	0.30	शून्य	0.30
128	2210.01.110.10.97.27	0.40	शून्य	0.40
129	2210.01.110.10.96.27	0.10	शून्य	0.10
130	2210.05.101.85.97.27	0.15	शून्य	0.15
131	2210.05.102.96.97.27	1.30	शून्य	1.30
132	2210.05.105.65.97.53	0.50	शून्य	0.50
133	2210.06.107.96.00.27	0.10	शून्य	0.10
134	2210.06.107.95.00.27	2.00	शून्य	2.00
135	2217.05.191.99	5.00	शून्य	5.00
136	2251.00.090.84	1.50	शून्य	1.50

**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1**

137	2801.05.800.86	2.00	शून्य	2.00
138	2801.05.800.81	2.00	शून्य	2.00
139	2801.05.800.80	23.00	शून्य	23.00
140	2810.02.800.90	20.00	शून्य	20.00
<b>2017-18 (पूँजीगत)</b>				
141	6215.01.191.81.00.55	80.00	शून्य	80.00
142	6215.01.191.80.00.55	10.00	शून्य	10.00
143	6215.02.191.86.00.55	10.00	शून्य	10.00
144	6215.02.191.85.00.55	8.40	शून्य	8.40
145	6217.60.191.96.99.55	0.20	शून्य	0.20
146	6217.60.191.96.97.55	7.00	शून्य	7.00
147	6217.60.191.91.97.55	5.00	शून्य	5.00
148	6217.60.789.98.99.55	0.20	शून्य	0.20
149	6217.60.789.98.97.55	2.00	शून्य	2.00
150	4202.03.800.80.00.42	0.10	शून्य	0.10
151	4210.03.102.98.00.42	1.50	शून्य	1.50
152	4225.01.789.97.00.53	0.50	शून्य	0.50
153	4235.02.101.84.00.53	10.00	शून्य	10.00
154	4235.02.103.90.00.53	1.00	शून्य	1.00
155	4250.00.201.99.00.53	2.10	शून्य	2.10
156	5054.04.101.99.00.53	50.00	शून्य	50.00
157	5054.04.101.97.00.53	35.00	शून्य	35.00
158	5054.04.101.95.00.53	25.00	शून्य	25.00
159	5054.04.337.98.00.53	5.00	शून्य	5.00
160	5054.04.800.89.00.42	10.00	शून्य	10.00
161	5054.04.800.82.00.53	25.00	शून्य	25.00
162	5475.00.800.94.00.53	1.40	शून्य	1.40
163	4801.05.190.91	1.00	शून्य	1.00
164	4801.05.190.84	1.00	शून्य	1.00
165	4801.05.800.91	50.00	शून्य	50.00
166	4810.00.102.95	2.00	शून्य	2.00

## परिशिष्ट 3.1

31 मार्च 2018 तक देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण

(पैराग्राफ 3.2 देखें)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाण पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	
			मद	राशि (₹ करोड़ में)	मद	राशि (₹ करोड़ में)	मद	राशि (₹ करोड़ में)
1	उत्तरी दि.न.नि.	2015-16	16	92,796.07	15	90,716.07	1	2,080.00
2	दक्षिणी दि.न.नि.	2015-16	17	77,882.67	15	75,534.67	2	2,348.00
3	पूर्वी दि.नि.नि.	2015-16	15	49,128.80	14	44,930.14	1	4,198.66
4	एनडीएमसी को एलएसजी	1993-94 से 2010-11	311	47,873.77	0	0.00	311	47,873.77
5	दिल्ली छावनी बोर्ड	1994-95 से 2009-10	112	3,918.29	0	0.00	112	3,918.29
		2015-16	3	2,643.07	3	2,643.07	0	0.00
		2016-17	1	503.14	1	503.14	0	0.00
6	दिल्ली विद्युत बोर्ड एवं विद्युत क्षेत्र	1999-2000 से 2007-08	49	1,17,426.66	0	0.00	49	1,17,426.66
7	दिल्ली जल बोर्ड	1993-94 से 2012-13	103	1,21,572.28	0	0.00	103	1,21,572.28
		2013-14	10	44,770.00	9	25,650.00	1	19,120.00
		2015-16	18	1,05,212.00	18	94,212.00	0	11,000.00
8	डीडीए के भूमि एवं भवन विभाग	1993-94 एवं 2007-08	2	1,955.80	0	0.00	2	1,955.80
9	एमसीडी के भूमि एवं भवन विभाग	1993-94 से 2000-01	232	68,307.35	0	0.00	232	68,307.35
10	एनडीएमसी	1993-94 से 2012-13	9	9,529.37	0	0.00	9	9,529.37
		2015-16	9	7,832.00	6	7,519.00	3	313.00
11	डीयूएसआईबी	2011-12 से 2012-13	17	44,040.00	0	0.00	17	44,040.00
		2015-16	11	27,183.38	10	27,086.40	1	96.98
12	डीएसआईआईडीसी	2010-11 से 2012-13	4	90,314.67	0	0.00	4	90,314.67
13	डीटीडीसी	2011-12 से 2012-13	2	8,81.12	0	0.00	2	881.12
		2015-16	1	765.35	0	0.00	1	765.35
14	पर्यटन विभाग	1998-99 से 2016-17	25	10,267.93	0	0.00	25	10,267.93
15	यू.डी. विभाग	2002-03 से 2013-14	79	8,985.56	0	0.00	79	8,985.56
16	पर्यावरण विभाग	2015-16 से 2016-17	13	1,583.90	13	1,583.90	0	0.00
17	कला संस्कृति एवं भाषा विभाग	2004-05 से 2013-14	536	25,335.19	536	25,335.19	0	0.00
		2016-17	-	7,108.81	-	7,108.81	-	0.00
18	एससी/एसटी/ओबीसी के कल्याण के लिए निदेशालय	1995-96 से 1997-98	95	333.73	0	0.00	95	333.73
		2000-01	3	15.08	0	0.00	3	15.08
		2004-05 से 2016-17	41	5,406.02	0	0.00	41	5,406.02
19	जी.ए.डी.	2010-11 से 2011-12	0	232.28	0	47.56	0	184.72
20	आईटी विभाग	2006-07	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		2008-09 से 2009-10	4	587.81	4	532.6	0	55.21
		2011-12 से 2012-13	2	5.01	2	5.01	0	0.00
21	कानून विभाग	2009-10 से 2016-17	8	1,852.50	8	1,706.48	0	146.02
21	ऊर्जा विभाग	2016-17	3	1,549.19	3	1,246.54	0	302.65
22	योजना विभाग	2016-17	1	8.80	1	8.80	0	0.00
23	उप. आयुक्त (नई दिल्ली)	2011-12	2	9.67	0	0.00	2	9.67
24	सी.पी.ओ. (डी.एस.डब्ल्यू)	2015-16	2	114.68	2	114.68	0	0.00
25	परिवहन विभाग (डीटीसी)	2016-17	2	1,55,000.00	2	1,55,000.00	0	0.00
26	एसपीसीए (पशुपालन)	2016-17	2	2,257.00	2	2,257.00	0	0.00
27	परिवार कल्याण निदेशालय	2016-17	9	5,071.36	4	3,927.05	5	1,144.31
28	सड़क सुरक्षा कक्ष	2005-06	1	70.10	0	19.50	1	50.60
29	प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीटीई)	2007-08 से 2013-14	89	64,657.36	78	61,733.76	11	2,923.6
		2016-17	41	19,672.06	39	19,624.50	2	47.56

**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1**

30	आई.एस.एम. एण्ड एच निदेशालय	2002-03	1	0.75	0	0.00	1	0.75
		2005-06	1	1.70	0	0.00	1	1.70
		2016-17	9	1,814.33	8	1,753.33	1	61.00
31	समाज कल्याण निदेशालय	1993-94 से 2016-17	1,724	4,088.80	304	361.85	1,420	3,726.95
32	डी.एल.एस.ए.	2016-17	3	650.00	3	650.000	0	0.00
33	स्वास्थ्य सेवायें निदेशालय	1998-99 से 2005-06	50	828.28	0	0.00	50	828.28
		2009-10 से 2016-17	713	39,7002.39	634	2,81,985.56	79	1,15,016.83
34	औद्योगिक विभाग	2010-11	4	8,529.50	4	8,529.50	0	0.00
		2012-13	13	1,332.72	13	1,332.72	0	0.00
		2014-15 से 2016-17	53	4,672.00	53	4,558.16	0	113.84
		<b>कुल</b>	<b>4,471</b>	<b>16,43,580.30</b>	<b>1,804</b>	<b>9,48,216.99</b>	<b>2,667</b>	<b>6,95,363.31</b>

## परिशिष्ट 3.2

निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की स्थिति का विवरण  
(पैराग्राफ 3.3 को देखें)

क्र.सं.	निकायों/प्राधिकरणों के नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा सौंपे जाने की अवधि	जिस वर्ष तक के लेखे जमा कराए गए	जिस अवधि तक के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस ए आर) जारी किए गए	विधायिका में प्रस्तुत की गई एस ए आर	वर्ष जिनके लेखे देय हैं	लेखे जमा करने में विलम्ब की अवधि (वर्ष में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	दिल्ली कल्याण समिति (दि.क.स.)	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 20 (1) के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से 2022-23 के लिए सौंपा जाना	2013-14	2013-14	विधायिका में पेश नहीं की गई	2014-15 तथा 2016-17	3
2.	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जी.जी.एस.आई.पी.यू)	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2016-17	2015-16	प्रस्तुत की जानी है।	-	-
3.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.एस.आई.टी)	2012-13 से 2016-17 नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2014-15	2014-15	प्रस्तुत की जानी है।	2015-16 एवं 2016-17	2
4.	दिल्ली जल बोर्ड (दि.जे.बो.)	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2011-12	2011-12	स्थिति प्रतीक्षित	2012-13 से 2016-17	5
5.	दिल्ली भवन अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. धारा 19(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2014-16	2013-14	प्रस्तुत की जानी है।	2016-17	1
6.	दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.)	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2016-17	2015-16	प्रस्तुत नहीं की गई है।	-	-
7.	दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डी.ई.आर.सी.)	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2016-17	2016-17	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 15.01.2018 को राज्य विधायिका में प्रस्तुत की गई	-	-
8.	अम्बेडकर विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2016-17	2016-17	प्रस्तुत नहीं की गई	-	-
9.	इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम के सेक्शन 20(3) के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 के लिए सौंपा जाना	2016-17	2015-16	वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक के लिए 08.08.2017 को राज्य विधायिका में प्रस्तुत की गई	-	-
10.	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम के सेक्शन 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	-	-	-	2010-11 से आरम्भ हुई।	7

